भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 938

सोमवार, 10 फरवरी, 2025 / 21 माघ, 1946 (शक)

'समाधान' पोर्टल

938. श्री सुनील कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कामगारों, प्रबंधन, मजदूर संघों और अन्य हितधारकों के लिए अनुकूल, पारदर्शी और शिकायत निवारण प्रणाली 'समाधान' पोर्टल शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पोर्टल शिकायत निवारण की दक्षता में सुधार लाने में किस प्रकार प्रभावी है; और

(ग) बिहार सहित देश में उन कामगारों, प्रबंधन और मजदूर संघों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कराया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): समाधान पोर्टल, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत कामगारों, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के औद्योगिक विवादों को दायर करने की सुविधा के लिए आरंभ किया गया था। इस पोर्टल में कामगारों द्वारा उपदान संदाय अधिनियम, 1972, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के तहत दावे संबंधी मामले दर्ज करने की भी सुविधाएं हैं।

पोर्टल का उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है और इसमें सभी हितधारकों के लिए शिकायत के समाधान हेतु ज्यादा पारदर्शिता और दक्षता प्रदान की गई है जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

जारी..2/-

(i) ऑनलाइन फाइलिंग: कामगार/ट्रेड यूनियन/प्रबंधन अपने विवाद तथा दावे पोर्टल किसी भी समय पर कम्प्यूटर, उमंग एप पर लॉग इन करके तथा नजदीकी सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) में जाकर भी दर्ज करा सकते हैं।

(ii) ट्रैकिंग: कामगार पोर्टल पर ही अपने विवादों/दावों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

(iii) पारदर्शिता: शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान जारी किए गए सभी नोटिस और अन्य ऐसे दस्तावेज एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जाते हैं।

(iv) त्वरित निपटान: ऑनलाइन कार्य-तंत्र ने मामलों के त्वरित निपटान में सहायता की है।

(v) निगरानी: यह पोर्टल शिकायतों की आंतरिक निगरानी के लिए उपकरण (टूल्स) उपलब्ध कराकर दक्षता वृद्धि में सहायता करता है।

(vi) सुधार: समय-समय पर समाधान पोर्टल पर सुविधाओं और सेवाओं में उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सुधार किया जाता है।

सामाधान पोर्टल के माध्यम से, बिहार सहित औद्योगिक विवादों/दावों/शिकायतों के निपटान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

समय अवधि	प्राप्त	समाधान किए गए	समाधान दर
दिसंबर, 2023 तक	48,203	32,089	66.57%
दिसंबर, 2024 तक	82,841	66,374	80.12%

*****